संख्या–3075/सत्तर–2–2002–2(66)/2002

प्रेषक,

आर0 ए0 रमणी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुल सचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
प्राविधिक विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 27 सितम्बर, 2002

विषय : उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थाओं के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थाओं में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने आदि के सम्बन्ध में मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोपरान्त नये महाविद्यालयों/संस्थाओं को खोलने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थाओं में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु सामान्य प्रक्रिया, औचित्य निर्धारण, प्राभूत की राशि, भूमि, भवन, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं के अनावर्तक तथा आवर्तक व्यय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर नये पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु मानकों एवं सम्बन्धित पाठ्यक्रम हेतु प्रारम्भ में फर्नीचर एवं उपकरण हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठयक्रमों में अतिरिक्त सेक्शन/सीटों की वृद्धि किये जाने आदि के सम्बन्ध मे पूर्व में निर्गत विभिन्न शासनादेश द्वारा की गयी व्यवस्था में संशोधन करते हुए नये मानक निर्धारित करने का निर्णय लिया है। मानक निम्नवत् है :–

(1) सामान्य प्रक्रिया :–

रजिस्ट्रार सोसाइटीज अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कोई संस्था या ट्रस्ट जिसके संविधान के पंजीकृत रामलाल में शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन प्रबन्धन स्पष्टतः अंकित हों, प्रदेश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/गैर तकनीकी शिक्षा/विविध शिक्षा/शिक्षा–शिक्षण के महाविद्यालय स्थपित करने हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के आने वाले ऐसे विश्वविद्यालय जिसे उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–37 एवं धारा–38 के अन्तर्गत सहयुक्तता/सम्बद्धता प्रदान करने का अधिकार हो, के माध्यम से शासन से अनावत्ति प्रमाण–पत्र अथवा निर्वाधन (क्लीयरेंस) प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव कर सकती है। आवेदक समिति/ट्रस्ट महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव करने से पूर्व महाविद्यालय स्थापित करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानकों का सम्यक् रूप से अध्ययन कर लेवें तथा स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि जिस क्षेत्र में नये महाविद्यालय की स्थापना/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्ताव किय जा रहा है, वहाँ मानकों के अनुसार महाविद्यालय स्थापित करने का

समुचित औचित्य बनता है अथवा नहीं ? आवेदक संख्या यह भी देख लें कि मानकानुसार ये सभी अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने में सर्वथा सक्षम है अथवा नहीं ?

आवेदक संस्था द्वारा नये महाविद्यालय खोलने अथवा वर्तमान महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु शासन से अनावत्ति प्रमाण–पत्र/निर्वाधन (क्लीयरेंस) प्राप्त करने हेतु आवेदन सामान्यतः प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई तक प्रस्तुत किये जायेंगे। आवेदन सम्बन्धित क्षेत्र के विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कुलसचिव के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रारूप पर कुलसचिव के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करना होगा। निर्धरित प्रारूप पर नये महाविद्यालय की स्थापना/वर्तमान में संचालित महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम हेतु मानकानुसार औचित्य पाये जाने पर विश्वविद्यालय आवेदक संस्था के प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित करेगा। शासन द्वारा विश्वविद्यालय के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण करने के उपरान्त सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा आवेदन संस्था को शासन द्वारा निर्वाचन/अनावत्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्णय से आवगत कराया जायेगा। शासन को अनावत्ति/निर्वाधन (क्लीयरेंस) प्राप्त होने की दशा में आवेदक संस्था द्वारा निर्धारित प्राभूत की धनराशि जमा करने तथा उसे विश्वविद्यालय के कुलसचिव के नाम कोल्ड कराने से पूर्व निम्नलिखित को सुनिश्चित कर लिया जाय :–

(1) प्रस्तावित महाविद्यालय के नाम मानकानुसार भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित करायी जाय।
(2) महाविद्यालय के नाम अंकित भूमि पर मानकानुसार भवन/अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का निर्माण पूर्ण करा लिया जाय।
(3) शैक्षिक अवथापना सुविधाओं यथा पुस्तकों, प्रयोगशालाओं हेतु उपकरणों/संयंत्रों/फर्नीचर आदि मानकानुसार क्रय करने हेतु पर्याप्त धनराशि संस्था के बैंक खातों में उपलब्ध हो तथा वे आगामी पबों मं संख्या महाविद्यालय में शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवर्तक व्यय हेतु धनराशि उपलबध कराने में समर्थ हों।

उपर्युक्त सुनिश्चित कर लेने के उपरान्त संस्था सावधि जमा राशि के प्रमाण–पत्र में प्रस्तावित संकाय/नवीन पाठ्यक्रम का उल्लेख करते हुए प्राभूत की धनराशि कुलसचिव के नाम प्लेण्ड करायेंगे तथा निरीक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र परिस्थिति प्रविष्टियां अंकित करेंगे। आवेदन पत्र के साथ महाविद्यालय/संस्थान के लिए प्रस्तावित भवन का चारों दिशाओं से लिया गया बड़े पाइप का फोटो संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

उक्त प्रारूप के साथ महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र द्वारा रूपये पचास मूल्य के स्टैम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर यह शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उन्होनें आवेदन पत्र में जो भी विवरण/प्रविष्टियां अंकित की हैं, वे तथ्यों पर आधारित है और सही है। आवेदन पक्ष में कोई भी तथ्य न तो उनके द्वारा छिपाया गया है और न ही असत्य घोषित किया है। यदि उनके द्वारा की गयी घोषणा में कोई भी तथ्य गलत, असत्य या छिपाया हुआ पाया जाय तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

विश्वविद्यालय में निर्धारित प्राभूत को धनराशि जमा होने के उपरान्त विश्वविद्यालय प्रस्तावित नये महाविद्यालय/वर्तमान महाविद्यालय में प्रस्तावित नये पाठ्यक्रम में समाद्धता को संस्तुति करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण हेतु एक निरीक्षण मण्डल गणित करेगा जिसमें निम्नलिखित होगें :–

1. विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि, जो आचार्य/स्नातकोत्तर प्राचार्य स्तर का हो।

2. प्रत्येक सम्बन्धित विषय का एक विषय विशेषज्ञ जो न्यूनतम आचार्य स्तर का हो, किन्तु कृषि संकाय के विषयों हेतु विशेषज्ञ प्रदेश में, अवस्थित कृषि विश्वविद्यालयों में शामिल किये जायें।
3. सम्बन्धित क्षेत्र का क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।

निरीक्षण मण्डल के गठन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि अथवा निकाय विशेषज्ञ के रूप में पृथक–पृथक महाविद्यज्ञलय के निरीक्षण मण्डल में भिन्न–भिन्न व्यक्ति नामित हों।

विश्वविद्यालय द्वारा गठित उक्त निरीक्षण मण्डल के सभी सदस्य एक साथ किसी एक निर्धारित तिथि को महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करेगें तथा महाविद्यालयों के लिए शासन द्वारा निर्धारित/राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानकानुसार सभी अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध होने अथवा नही होने, जैसी भी स्थल पर स्थिति हो, का तथ्यात्मक उल्लेख अपनी निरीक्षण आख्या में अंकित करते हुए अपनी आख्या/संस्तुति विश्वविद्यालय का निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत करेंगे। निरीक्षण के दौरान निरीक्षण मण्डल प्रस्तावित महाविद्यालय भवन के साथ अपनी फोटो भी खिवाएंगे जिसे निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या संस्तति सहित कुलाधिपति एवं शासन को अधारित की जायेगी।

शासन उक्त आख्या/संस्तति का पूर्ण रूप से परीक्षण कर प्रस्ताव उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय को प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति महामहिम कुलाधिपति को प्रेषित करेगा। महामहिम कुलाधिपति द्वारा अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के उपरान्त ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा एवं शिक्षणेत्तर क्रिया फैलाया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार सुनिश्चित कराये जायेगें।

(2) <u>औचित्य निर्धारण</u>

(अ) जिस स्थान पर नया महाविद्यालय/संस्थान स्थापित करना प्रस्तावित है वहाँ औचित्य निर्धारण हेतु यह देखना आवश्यक होगा :–
  (1) जिस स्थान पर महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है उसके पास 15 कि.मी. की परिधि में कितने महाविद्यालय है ?
  (2) प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी क्या है ?
  (3) उस क्षेत्र में 15 किलोमीटर की परिधि में स्थित महाविद्यालयों में क्या–क्या पाठ्यक्रम संचालित है ?
  (4) उस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति विद्यमान महाविद्यालयों को देखते हुए किस सीमा तक अपूर्ण रह जाती है ?
  (5) क्या प्रस्तावित स्थान पर नवीन महाविद्यालय खोलने से उस क्षेत्र में विद्यमान महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव के प्रस्तावित नये महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में न्यूनतम अर्हतायुक्त पर्याप्त छात्र उपलब्ध हो सकेंगें ?
  (6) क्या विद्यमान महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की संस्तुति करने पर क्षेत्र के

अन्य महाविद्यालयों पर बिना किसी कुप्रभाव के स्नातक स्तर पर 60 छात्र तथा स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 30 छात्र मानक योग्यतानुसार उपलब्ध हो सकेंगें ?

(7) संस्था/समिति/ट्रस्ट का पंजीकरण अपावधिक विधि मान्य है अथवा नहीं ?

(8) प्रस्तावित महाविद्याय के नाम से साथ राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय अखिल भारतीय या इसके समतुल्य नाम अंकित न हो। महाविद्यालय का नाम जीवित व्यक्ति के नाम पर न हों अथवा जाति विशेष के नाम न हो।

(9) भूमि, मानकानुसार संस्था/महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो अथवा कम से कम 30 वर्ष के लिए लीज पर हों तथा लीज डीड पंजीकृत हो।

(10) क्या महाविद्यालय/संस्थान को संचालित करने वाली संस्था/ट्रस्ट को आर्थिक स्थिति सृदृढ़ है ?

(ब) इसी प्रकार पूर्व से संचालित महाविद्यालय/संस्थान में नये पाठ्यक्रमों में अनावत्ति/निर्वाधन देने हेतु औचित्य निर्धारण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक होगा :–

(1) पूर्व में संचालित महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कितने विषयों/पाठ्यक्रमों में शिक्षण हो रहा है तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या क्या है ?

(2) पूर्व में संचालित महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर स्वीकृत पाठ्यक्रमों में विगत तीन वर्ष का नियमावार परीक्षाफल क्या था ?

(3) क्या पूर्व मं संचालित पाठ्यक्रमों में निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक नियुक्त है ? नियुक्त शिक्षकों में से कितने तथा किन–किन विषय के शिक्षक आयोग से नियुक्त/निनियमिती है अथवा वर्तमान में संचालित किन–किन पाठ्यक्रम में कितने शिक्षकों की नियुक्ति पर कुलपति द्वा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(4) महाविद्यालय के बाद खेलकूद आदि प्रतिपरधाओं के लिए पर्याप्त क्रीड़ा सामग्री तथा भूमि उपलब्ध है।

(3) <u>प्राभूत की राशि</u>

क्र.सं.	संकाय/विषय	बुन्देलखण्ड क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित प्रभूत की धनराशि	बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए निर्धारित प्राभूत की धनराशि
1.	स्नातक स्तर पर कला संकाय के सात विषयों	रू0 2.00 लाख	रू0 1.50 लाख
2.	स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु	रू0 50,000/–	रू0 20,000/–
3.	स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त प्रयोगात्मक कार्य से युक्त विषय हेतु	रू0 50,000/–	रू0 20,000/–
4.	विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के पांच परम्परागत विषयों हेतु	रू0 3.00 लाख	रू0 2.50 लाख
5.	विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर बी0एस0सी0 (कम्प्यूटर साइंस), बी0एस0सी0 (ईनकार मशन टेक्नोलॉजी) आदि नवीन पाठ्यक्रमों में प्रत्येक उपाधि पाठ्यक्रम के लिए प्राभूत	रू0 3.00 लाख क्रम 4 के अतिरिक्त	रू0 2.50 लाख क्रम 4 के अतिरिक्त

6.	विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु	रू0 55,000/–	रू0 25,000/–
7.	स्नातकोत्तर स्तर के कला एवं शिक्षा के प्रत्येक विषय हेतु	रू0 75,000/–	रू0 30,000/–
8.	स्नातकोत्तर स्तर पर एम0काम0 अथवा प्रत्येक प्रयोगात्मक विषयों हेतु	रू0 2.00 लाख	रू0 50,000/–
9.	एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रू0 400 लाख	रू0 3.00 लाख
10.	एल0एल0बी0 (पांच वर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रू0 6.00 लाख	रू0 4.00 लाख
11.	बी0बी0ए0/बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों हेतु	रू0 3.00 लाख	रू0 1.50 लाख
12.	एम0सी0ए0 पाठ्यक्रमों हेतु	रू0 5.00 लाख	रू0 5.00 लाख
13.	एम0सी0ए0 पाठ्यक्रमों हेतु	रू0 3.00 लाख	रू0 3.00 लाख

(4) <u>भूमि का मानक</u>

(1) नये महाविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि का मानक निम्नवत् होगा :–

(क) नगर निगम क्षेत्र 5000 वर्ग मीटर

(ख) नगरपालिका क्षेत्र 7000 वर्ग मीटर

(ग) अन्य क्षेत्र 20000 वर्ग मीटर

किन्तु महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु उक्त मानक की 50 प्रतिशत भूमि पर्याप्त होगी।

(2) विधि महाविद्यालयों (लॉ कालेजों) हेतु भूमि का मानक :

(क) तीन वर्षीय एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम के लिए संस्था/प्रबन्ध तंत्र के पास कम से कम 1200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि अपेक्षित है।

(ख) पांच वर्षीय एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम के लिए 1500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि होनी चाहिए। यदि लॉ कालेजों में दोनों पाठ्यक्रम, लॉ तीन वर्षीय तथा लॉ पाँच वर्षीय संचालित हो तो उस स्थिति में महाविद्यालय में कम से कम 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि होनी चाहिए।

(3) कृषि महाविद्यालय के लिए उपर्युक्त मानकानुसार भूमि के अतिरिक्त न्यूनतम 15 एकड़ भूमि कृषि प्रायोगिक कार्य के लिए उपलब्ध होना अनिवार्य है।

(4) ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार अतिरिक्त भूमि का होना अनिवार्य है।

(5) <u>भवन का मानक</u>

प्रत्येक महाविद्यालय के नाम आवश्यकतानुसार अपना निजी भवन होना अनिवार्य है जिसमं केवल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में ही शिक्षण प्रदान किया जायेगा। कला/विज्ञान संकाय के सात स्नातक स्तरीय विषयों तक के लिए न्यूनतम छः व्याख्यान कक्ष तथा पुस्तकालय वाचनालय, अध्यापक कक्ष होना। यदि महाविद्यालय द्वारा किसी प्रयोगात्मक विषय के पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया गया हो तो उसके लिए एक पृथक प्रयोगशाला का होना अनिवार्य है। इसी भांति विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय के प्रत्येक सेक्शन के लिए एक अतिरिक्त व्याख्यार कक्ष का होना आवश्यक है एवं विज्ञान संकाय के प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक प्रयोगशालाएं निर्मित होने की अनिवार्यता होगी। नये महाविद्यालय के